

राजस्थान सरकार
निदेशालय खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान, उदयपुर

क्रमांक: निदे/अ.ख.अ. नीलामी/नीलामी(ML I)/2023/147

दिनांक: 08.02.2023

ई-नीलामी विज्ञप्ति

सर्वसाधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 के अध्याय-III के अन्तर्गत अप्रधान खनिजों के खननपट्टों खुली ई-नीलामी (e-auction) के माध्यम से आवंटित किये जाने हैं, जिसके लिए इच्छुक बोलीदाता आवेदन शुल्क व बिड की प्रतिभूति राशि जमा कर ई-नीलामी में भाग ले सकता है। ई-नीलामी में भाग लेने वाले बोलीदाताओं को प्रत्येक प्लॉट हेतु नॉन-रिफण्डेबल आवेदन शुल्क रूपया 10,000/- तथा बिड प्रतिभूति राशि (नीचे अंकित तालिका के कॉलम 9 के अनुसार) निर्धारित तिथि तक ई-नीलामी की सेवा प्रदाता कम्पनी एम. एस.टी.सी. लि. को जमा कराना आवश्यक होगा। आवंटित किये जाने वाले खनन पट्टों (प्लॉट) का विवरण एवं बोली की निर्धारित तिथियां व समय निम्नानुसार है :-

क्र. स.	कार्यालय का नाम जिसमें खनन प्लॉट स्थित हैं एवं प्लॉट क्रमांक:	खनन पट्टा (प्लॉट) का विवरण				प्लॉट का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	खनिज का नाम	बिड प्रतिभूति राशि (रूपयों में)	आरक्षित राशि (रूपयों में)	बोली लगाने हेतु आवेदन शुल्क व बिड प्रतिभूति राशि जमा कराने की अंतिम तिथि	ऑनलाईन बोली की दिनांक	ऑनलाईन बोली का समय	एनेक्शर क्रमांक जहां प्लॉट का विस्तृत विवरण अंकित है। विज्ञप्ति के साथ संलग्न है।
		भूमि का प्रकार	राजस्व ग्राम	तहसील	जिला								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	खनि अभियन्ता, भीलवाड़ा प्लॉट क्रमांक: 303	राजकीय भूमि	झालरा	आसीन्द	भीलवाड़ा	1.8776	ग्रेनाइट	15 लाख	563400	01.03.23	02.03.23	10.00 ए.एम. से 12.00 पी.एम.	एनेक्शर-1
2	खनि अभियन्ता, भीलवाड़ा प्लॉट क्रमांक: 304	राजकीय भूमि	झालरा	आसीन्द	भीलवाड़ा	3.0067	ग्रेनाइट	25 लाख	902100	01.03.23	02.03.23	10.30 ए.एम. से 12.30 पी. एम.	एनेक्शर-2
3	खनि अभियन्ता, भीलवाड़ा प्लॉट क्रमांक: 305	राजकीय भूमि	झालरा	आसीन्द	भीलवाड़ा	3.0067	ग्रेनाइट	25 लाख	902100	01.03.23	02.03.23	10.30 ए.एम. से 12.30 पी. एम.	एनेक्शर-3
4	खनि अभियन्ता, भीलवाड़ा प्लॉट क्रमांक: 306	राजकीय भूमि	झालरा	आसीन्द	भीलवाड़ा	1.4150	ग्रेनाइट	15 लाख	424500	01.03.23	02.03.23	11.00 ए.एम. से 01.00 पी. एम.	एनेक्शर-4
5	खनि अभियन्ता, भीलवाड़ा प्लॉट क्रमांक: 307	राजकीय भूमि	झालरा	आसीन्द	भीलवाड़ा	1.2608	ग्रेनाइट	15 लाख	378300	01.03.23	02.03.23	12.00 पी.एम. से 02.00 पी. एम.	एनेक्शर-5
6	खनि अभियन्ता, भीलवाड़ा प्लॉट क्रमांक: 308	राजकीय भूमि	झालरा	आसीन्द	भीलवाड़ा	2.9196	ग्रेनाइट	25 लाख	876000	01.03.23	02.03.23	12.30 पी.एम. से 02.30 पी. एम.	एनेक्शर-6
7	खनि अभियन्ता, भीलवाड़ा प्लॉट क्रमांक: 309	राजकीय भूमि	झालरा	आसीन्द	भीलवाड़ा	3.0866	ग्रेनाइट	25 लाख	926100	01.03.23	02.03.23	01.00 पी.एम. से 03.00 पी. एम.	एनेक्शर-7

38	खनि अभियन्ता, नागौर प्लॉट क्रमांक: 138	राजकीय भूमि	सैनणी	मुण्डवा	नागौर	1.00	मेसेनरी स्टोन	10 लाख	150000	09.03.23	10.03.23	10.30 ए.एम. से 12.30 पी. एम.	एनेक्शर-38
39	खनि अभियन्ता, नागौर प्लॉट क्रमांक: 137	राजकीय भूमि	असावरी	मुण्डवा	नागौर	1.00	मेसेनरी स्टोन	10 लाख	150000	09.03.23	10.03.23	10.30 ए.एम. से 12.30 पी. एम.	एनेक्शर-39
40	खनि अभियन्ता, नागौर प्लॉट क्रमांक: 138	राजकीय भूमि	असावरी	मुण्डवा	नागौर	1.00	मेसेनरी स्टोन	10 लाख	150000	09.03.23	10.03.23	11.00 ए.एम. से 01.00 पी. एम.	एनेक्शर-40
41	खनि अभियन्ता, नागौर प्लॉट क्रमांक: 139	राजकीय भूमि	असावरी	मुण्डवा	नागौर	1.00	मेसेनरी स्टोन	10 लाख	150000	09.03.23	10.03.23	12.00 पी.एम. से 02.00 पी. एम.	एनेक्शर-41
42	खनि अभियन्ता, नागौर प्लॉट क्रमांक: 140	राजकीय भूमि	असावरी	मुण्डवा	नागौर	1.00	मेसेनरी स्टोन	10 लाख	150000	09.03.23	10.03.23	12.30 पी.एम. से 02.30 पी. एम.	एनेक्शर-42
43	खनि अभियन्ता, नागौर प्लॉट क्रमांक: 141	राजकीय भूमि	असावरी	मुण्डवा	नागौर	1.00	मेसेनरी स्टोन	10 लाख	150000	09.03.23	10.03.23	01.00 पी.एम. से 03.00 पी. एम.	एनेक्शर-43
44	सहायक खनि अभियन्ता, नीमकाथाना प्लॉट क्रमांक: 44	राजकीय भूमि	नृसिंहवाला	पाटन	सीकर	1.3866	मेसेनरी स्टोन	15 लाख	208050	09.03.23	10.03.23	02.00 पी.एम. से 04.00 पी. एम.	एनेक्शर-44
45	सहायक खनि अभियन्ता, नीमकाथाना प्लॉट क्रमांक: 45	राजकीय भूमि	बनियालानगर	नीमकाथाना	सीकर	3.3035	मेसेनरी स्टोन व क्वार्टज	25 लाख	495600	09.03.23	10.03.23	03.00 पी.एम. से 05.00 पी. एम.	एनेक्शर-45
46	खनि अभियन्ता, राजसमंद-1 प्लॉट क्रमांक: 16/2022	राजकीय भूमि	दोवड़	राजसमंद	राजसमंद	2.8461	क्वार्टज फेल्सपार व ग्रेनाईट	25 लाख	854100	09.03.23	10.03.23	03.00 पी.एम. से 05.00 पी. एम.	एनेक्शर-46
47	खनि अभियन्ता, राजसमंद-1 प्लॉट क्रमांक: 17/2022	राजकीय भूमि	दोवड़	राजसमंद	राजसमंद	1.9668	क्वार्टज फेल्सपार व ग्रेनाईट	15 लाख	590100	09.03.23	10.03.23	04.00 पी.एम. से 06.00 पी. एम.	एनेक्शर-47
48	खनि अभियन्ता, जैसलमेर प्लॉट क्रमांक: 140	राजकीय भूमि	हडडा	जैसलमेर	जैसलमेर	4.00	लाइमस्टोन (डाइमेन्सनल)	25 लाख	1400000	09.03.23	10.03.23	04.00 पी.एम. से 06.00 पी. एम.	एनेक्शर-48
49	खनि अभियन्ता, जैसलमेर प्लॉट क्रमांक: 141	राजकीय भूमि	हडडा	जैसलमेर	जैसलमेर	4.00	लाइमस्टोन (डाइमेन्सनल)	25 लाख	1400000	13.03.23	14.03.23	10.00 ए.एम. से 12.00 पी.एम.	एनेक्शर-49

64	सहायक खनि अभियन्ता, सलुम्बर प्लॉट क्रमांक: 39/2022	राजकीय भूमि	बांडकी	लसाड़िया	उदयपुर	2.25	क्वार्टज फेल्सपार	25 लाख	281250	14.03.23	15.03.23	12.00 पी.एम. से 02.00 पी. एम.	एनेक्शर-64
65	सहायक खनि अभियन्ता, सलुम्बर प्लॉट क्रमांक: 40/2022	राजकीय भूमि	ईडाणा	सलुम्बर	उदयपुर	4.0309	क्वार्टज फेल्सपार व ग्रेनाईट	25 लाख	1209300	14.03.23	15.03.23	12.30 पी.एम. से 02.30 पी. एम.	एनेक्शर-65
66	सहायक खनि अभियन्ता, सलुम्बर प्लॉट क्रमांक: 41/2022	राजकीय भूमि	ईडाणा	सलुम्बर	उदयपुर	4.0309	क्वार्टज फेल्सपार व ग्रेनाईट	25 लाख	1209300	14.03.23	15.03.23	01.00 पी.एम. से 03.00 पी. एम.	एनेक्शर-66
67	सहायक खनि अभियन्ता, सलुम्बर प्लॉट क्रमांक: 42/2022	राजकीय भूमि	बांडकी	लसाड़िया	उदयपुर	2.4060	क्वार्टज फेल्सपार	25 लाख	300750	14.03.23	15.03.23	02.00 पी.एम. से 04.00 पी. एम.	एनेक्शर-67
68	खनि अभियन्ता, जोधपुर प्लॉट क्रमांक: 159	राजकीय भूमि	कास्टी	बावड़ी	जोधपुर	1.00	सेण्डस्टोन मेसेनरी स्टोन	10 लाख	350000	14.03.23	15.03.23	03.00 पी.एम. से 05.00 पी. एम.	एनेक्शर-68
69	सहायक खनि अभियन्ता, कोटपूतली प्लॉट क्रमांक: 20	राजकीय भूमि	खेडा निहालपुरा	कोटपूतली	जयपुर	1.2232	मेसेनरी स्टोन	15 लाख	183600	14.03.23	15.03.23	03.00 पी.एम. से 05.00 पी. एम.	एनेक्शर-69
70	खनि अभियन्ता, जैसलमेर प्लॉट क्रमांक: 20	राजकीय भूमि	पारेवर	जैसलमेर	जैसलमेर	4.00	सिलिका सैण्ड	25 लाख	600000	14.03.23	15.03.23	04.00 पी.एम. से 06.00 पी. एम.	एनेक्शर-70
71	खनि अभियन्ता, जैसलमेर प्लॉट क्रमांक: 21	राजकीय भूमि	पारेवर	जैसलमेर	जैसलमेर	4.00	सिलिका सैण्ड	25 लाख	600000	14.03.23	15.03.23	04.00 पी.एम. से 06.00 पी. एम.	एनेक्शर-71

(अ) महत्वपूर्ण बिंदु:-

- उक्त वर्णित खनन पट्टों की अवधि संविदा पंजियन दिनांक से 50 वर्ष के लिये होगी।
- आवंटित किये जाने वाले प्लॉटों की लोकेशन एवं अन्य सूचनाएँ उपरोक्त तालिका अनुसार एनेक्शर 1 से एनेक्शर 71 पर है। उक्त सूचना विभागीय वेबसाइट www.mines.rajasthan.gov.in पर तथा सेवा प्रदाता की वेबसाइट www.mstcecommerce.com पर भी उपलब्ध है, जहां से डाउनलोड की जा सकती है। नीलाम किये जा रहे खनन प्लॉट जहाँ है, जैसे है के आधार पर नीलाम किए जा रहे हैं। बोलीदाता सीमा स्तम्हों के अक्षान्तर एवं देशान्तर के आधार पर प्लॉट का निरीक्षण अपने स्तर पर करेगा। प्लॉट की स्थिति, उपलब्ध खनिज, पहुंच के रास्ते एवं अन्य आधारभूत सुविधाओं इत्यादि बाबत बोलीदाता पूर्ण रूप से बोली लगाने से पूर्व स्वयं को आश्वस्त करेगा। इस संबंध में किसी प्रकार की आपत्ति/शिकायतें बाद में स्वीकार नहीं की जायेगी।

- 3 ई-नीलामी प्रीमियम राशि की होगी तथा प्रीमियम राशि खननपट्टा अवधि में केवल एक बार जमा करानी होगी। उच्चतम बोलीदाता को प्रीमियम की राशि राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 के नियम 13 के तहत 4 किशतों में जमा करानी होगी। प्रथम किशत (बोली राशि की 40 प्रतिशत राशि के बराबर) ई-ऑक्शन पूर्ण होने की तिथि से 15 दिन में जमा करानी होगी, द्वितीय किशत (बोली राशि की 20 प्रतिशत राशि के बराबर) संविदा निष्पादन के पूर्व, तृतीय किशत (बोली राशि की 20 प्रतिशत राशि के बराबर) खनन पट्टा के द्वितीय वर्ष के प्रारंभ में व अंतिम किशत (बोली राशि की 20 प्रतिशत राशि के बराबर) तृतीय वर्ष के प्रारंभ में जमा करानी होगी। उक्त प्रीमियम राशि का समायोजन स्थिर भाटक, रॉयल्टी इत्यादि में नहीं होगा।
- 4 खननपट्टे का आवंटन एवं ई-ऑक्शन की प्रक्रिया राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 एवं इसके तहत जारी विज्ञप्ति के अंतर्गत होगी।
- 5 यदि भविष्य में उक्त विज्ञप्ति के सम्बन्ध में कोई परिवर्तन किये जाता है तो इसकी सूचना विभागीय वेबसाइट व सेवा प्रदाता एम.एस.टी.सी. की वेबसाइट पर दी जावेगी। इसका प्रकाशन समाचार पत्रों में अलग से नहीं किया जावेगा।
- 6 प्रत्येक प्लॉटों की प्रथम बार ई-नीलामी हेतु कम से कम 2 बोलीदाताओं का होना आवश्यक है। यदि ई-नीलामी के प्रथम प्रयास में दो से कम बोलीदाताओं द्वारा भाग लिया जाता है तो बोलीदाता को सफल बोलीदाता घोषित नहीं किया जायेगा तथा ई-नीलामी रद्द की जायेगी। ई-नीलामी के द्वितीय प्रयास में यदि किसी प्लॉट में दो से कम बोलीदाता रहते हैं तो एकल बोलीदाता को सफल बोलीदाता घोषित कर दिया जायेगा।

(ब) बोलीदाता के लिए बोली में भाग लेने की प्रक्रिया:-

- 1 ई-नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने के इच्छुक व्यक्तियों को www.mstcecommerce.com के पोर्टल से पंजीयन कराना होगा। यदि किसी व्यक्ति / फर्म / कम्पनी ने पूर्व में ही एमएसटीसी के पोर्टल में पंजीयन करा रखा है तो उन्हें पुनः पंजीयन कराने की आवश्यकता नहीं है। पंजीयन हेतु पोर्टल के होम पेज में उपलब्ध पंजीयन मार्गदर्शिका (मैनुअल) अथवा एमएसटीसी के फोन नंबर पर आवश्यकतानुसार मदद ली जा सकती है।
- 2 ई-नीलामी की प्रक्रिया के संबंध में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिये सेवा प्रदाता की वेबसाइट पर एवं उनके किसी भी कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है। जयपुर कार्यालय का पता सीएफ/02, प्रथम तल, नेहरू प्लेस कॉम्प्लेक्स, टॉक रोड, जयपुर है व फोन न. 0141-2742208 है। विभागीय हेल्पलाईन नम्बर 0294-2415091 (एक्सटेंशन नम्बर 212, 219) है।
- 3 पंजीयन प्रक्रिया के वक्त पंजीयनकर्ता के पास वैध ई-मेल आईडी और डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट (डीएससी) होना आवश्यक है उक्त सर्टिफिकेट साइनिंग टाइप एवं न्यूनतम क्लास-1 का होना चाहिए। डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट प्राप्त करने की प्रक्रिया वेबसाइट www.eproc.rajasthan.gov.in पर दी गई है। डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट के पासवर्ड की गोपनीयता बोलीदाता को ही रखनी होगी।
- 4 पंजीयन हेतु ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन फार्म भरने के बाद एम.एस.टी.सी. द्वारा आवश्यक दस्तावेजों की सूची (जैसे पैन कॉर्ड, एड्रेस प्रुफ, बैंक अकाउन्ट नम्बर, बैंक से हस्ताक्षर का प्रमाणीकरण, डी.एस. सी. सीरियल नम्बर, फर्म / कम्पनी होने की दशा में अधिकृत व्यक्ति का पैन कार्ड एवं एड्रेस प्रुफ, रजिस्ट्रेशन फीस 10000/- व जी.एस.टी. जमा कराने पर जारी यू.टी.आर. नम्बर) बोलीदाता को उसके ई-मेल आई.डी. पर भिजवाई जावेगी। बोलीदाता को रजिस्ट्रेशन फीस जमा कराते हुये दस्तावेज एम.एस.टी.सी. को ई-मेल से भिजवाने होंगे।

(स) ई-नीलामी की प्रक्रिया

- 1 ई-नीलामी में भाग लेने हेतु बोलीदाता द्वारा सर्वप्रथम अपने डिजिटल सिग्नेचर बनवाकर एमएसटीसी में पंजीयन कराने के उपरान्त नीलामी विज्ञप्ति में अंकित निर्धारित समय व तिथि तक प्रत्येक प्लॉट हेतु नॉन-रिफण्डेबल आवेदन शुल्क राशि 10,000/- एवं बिड सिक्यूरिटी जमा करा देने पर ऑनलाईन बोली में भाग ले सकेगा। बोलीदाता के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह प्रत्येक प्लॉट के लिए अलग-अलग आवेदन शुल्क व बिड सिक्यूरिटी जमा करायें। बोलीदाता द्वारा एक लम्पसम राशि भी जमा करवाई जा सकती है जिसमें से वह जिस-जिस प्लॉट हेतु बोली लगायेगा, उस प्लॉट के अनुसार आवेदन शुल्क व बिड सिक्यूरिटी राशि लम्पसम राशि में से कम होती जायेगी।
- 2 बोलीदाता द्वारा आवेदन शुल्क एवं बिड सिक्यूरिटी जमा कराने पर यह माना जावेगा कि बोलीदाता द्वारा ई-नीलामी की शर्तें एवं आर.एम.एम.सी.आर., 2017 के प्रावधानों का ध्यान पूर्वक अवलोकन एवं अध्ययन कर लिया गया है। बोली प्रस्तुत करने में किसी भी असावधानी, गलती अथवा कमी हेतु बोलीदाता स्वयं जिम्मेदार होगा।



- 3 बोलीदाता द्वारा डिजिटल हस्ताक्षर (डीएससी जिसके सिरियल नम्बर बोलीदाता द्वारा एमएसटीसी को दिये गये हैं) से ही बोली प्रस्तुत की जा सकेगी।
 - 4 बोली प्रिमियम की आरक्षित दर (रिजर्व प्राईज) जो कि कॉलम संख्या 10 में अंकित है, से कम स्वीकार नहीं की जायेगी।
 - 5 बोलीदाता जिस प्लॉट के लिए बोली लगाना चाहता है। उसके लिए बिड प्रतिभूति राशि नियत तिथि को जमा कराते हुए प्लॉट की नीलामी के तय समय से पूर्व "सेल्फ ओथराइज" करना आवश्यक है। अन्यथा वे नीलामी के निर्धारित समयावधि के अंतिम समय के पश्चात् अतिरिक्त समय में चल रही बिडिंग में भाग नहीं ले सकेंगे।
 - 6 उच्चतम बोलीदाता के अतिरिक्त अन्य भाग लेने वाले बोलीदाताओं की जमा बिड प्रतिभूति राशि बोली समाप्ति के पश्चात् अधिकतम अगले कार्यदिवस तक संबंधित बोलीदाता को लौटा दी जावेगी। लेकिन आवेदन-शुल्क नहीं लौटाया जायेगा।
 - 7 बोलीदाता अपनी बोली नीलामी पूर्ण होने से पूर्व कितनी भी बार बढ़ा सकता है। नीलामी समाप्ति के निर्धारित समय से आठ मिनट के अन्दर यदि कोई बोली प्राप्त होती है तो बोली का समय, बोली प्रस्तुत करने के समय से आठ मिनट स्वतः ही बढ़ जावेगा। यह प्रक्रिया तब तक जारी रहेगी जब तक अंतिम आठ मिनट में कोई बोली प्राप्त नहीं होती है। बोली 5000 रुपये के गुणांक (multiple) में बढ़ाई जा सकेगी।
 - 8 उच्चतम बोलीदाता का चयन कम्प्यूटर सिस्टम द्वारा स्वतः किया जावेगा। जिसकी सूचना सेवा प्रदाता द्वारा जरिये ई-मेल उच्चतम बोलीदाता को भेजी जावेगी।
 - 9 एमएसटीसी लि0 द्वारा सफल बोलीदाता द्वारा जमा कराई गई बिड प्रतिभूति राशि संबंधित खनि अभियंता/ सहायक खनि अभियंता कार्यालय में नीलामी समाप्ति के पश्चात् तत्काल ट्रांसफर कर दी जायेगी। जिसकी सूचना सेवा प्रदाता कंपनी द्वारा जरिये ई-मेल उच्चतम बोलीदाता तथा संबंधित खनि अभियंता/ सहायक खनि अभियंता कार्यालय को भेजी जायेगी। उक्त बिड प्रतिभूति राशि यदि प्रतिसंहत नहीं होती है तो उच्चतम बोलीदाता द्वारा जमा कराई जाने वाली प्रथम किश्त में समायोजित की जायेगी।
 - 10 सफल बोलीदाता को बोली समाप्ति के 15 दिवस में बिड सिक्वियेटी राशि से समायोजन उपरान्त प्रथम किश्त बोली राशि की 40 प्रतिशत में से बची हुई राशि जमा कराते हुए एवं निम्न दस्तावेज प्रस्तुत करने आवश्यक होंगे :-
 - (i) बोलीदाता के नाम अथवा उसके परिवारजनों के नाम अथवा उसके जोईन्ट इन्ट्रेस्ट में वर्तमान में अथवा पूर्व में कोई ठेका/खनन पट्टा/व्यारी लाईसेंस धृत रहा हो तो संबंधित सभी खनि अभियन्ता/सहायक खनि अभियन्ता कार्यालयों द्वारा जारी नो-ड्यूज प्रमाण पत्रों जो कि ई-नीलामी विज्ञप्ति तिथि से 6 माह से अधिक पुराना ना हो प्रस्तुत करना होगा।
 - (ii) विभागीय ना बकाया के संबंध में शपथ-पत्र:- यदि बोलीदाता के नाम अथवा उसके परिवारजनों के नाम व उसके जोईन्ट इन्ट्रेस्ट में पूर्व में या वर्तमान में कोई ठेका/खनन पट्टा/व्यारी लाईसेंस धृत नहीं रहा हो तो, इस संबंध में नोटरी सत्यापित शपथ पत्र रूपया 100/- के स्ट्याम्प पेपर की स्कैन प्रति देनी है। शपथ पत्र के प्रारूप अ,ब,स,द,ई वेबसाईट पर अपलोड है। जो भी लागू हो उसी अनुसार शपथ-पत्र तैयार किया जावे।
 1. यदि बोलीदाता Individual (व्यक्ति) हो तो प्रारूप 'अ' में शपथ पत्र प्रस्तुत करना है। 2. यदि बोलीदाता भागीदारी फर्म हो तो प्रत्येक भागीदार को पृथक पृथक प्रारूप 'ब' में तथा फर्म के पॉवर ऑफ एटोर्नी होल्डर को प्रारूप 'स' में फर्म का शपथ पत्र प्रस्तुत करना है। 3. यदि बोलीदाता कम्पनी हो तो प्रत्येक निदेशक को पृथक पृथक प्रारूप 'द' में तथा कम्पनी के अधिकृत व्यक्ति को प्रारूप 'ई' में कम्पनी का शपथ पत्र प्रस्तुत करना है।
- नोट-शपथ पत्र के प्रारूप अ, ब तथा द में बिन्दु संख्या 2 एवं शपथ पत्र के प्रारूप स तथा ई में बिन्दु संख्या 3 में जो लागू हो, वहीं शपथ पत्र में अंकित किया जावे।
- (iii) बोलीदाता कम्पनी होने की दशा में कम्पनी का मेमोरेन्डम एण्ड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन एवं सर्टिफिकेट ऑफ इन्कोर्पोरेशन की प्रति।
 - (iv) बोलीदाता फर्म होने की दशा में फर्म का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र एवं पार्टनरशिप डीड की प्रति।
 - (v) आवेदक फर्म होने पर पॉवर ऑफ एटोर्नी (आरएमएमसीआर 2017 के फर्म नम्बर 4 में) की प्रति तथा आवेदक के कम्पनी होने पर अधिकृत व्यक्ति के बोर्ड रिजोल्यूशन की प्रति।


(vi) PAN card / GSTIN की प्रति।

(vii) एड्रेस प्रुफ हेतु आधार कार्ड / ड्राईविंग लाईसेन्स / मतदाता पहचान पत्र इत्यादि की प्रति।

(viii) ईमेल एड्रेस एवं मोबाईल नंबर साधारण कागज या लेटर पेड पर अंकित करते हुये।

(ix) डोमीसाईल शिड्यूल ट्राइब कटेगरी के व्यक्तियों के लिये आरक्षित प्लॉट के लिए बिन्दु संख्या 16 के अनुसार दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा। (यदि लागू हो तो)

- 11 यदि सफल बोलीदाता द्वारा निर्धारित 15 दिवस की अवधि में प्रथम किश्त की संपूर्ण राशि एवं दस्तावेज जमा नहीं कराये जाते हैं, तो उसकी जमा बिड प्रतिभूति राशि जब्त करते हुये आगामी पांच वर्षों हेतु ई-ऑक्शन में भाग लेने से डिबार किया जायेगा।
- 12 विज्ञापित के क्रम संख्या 42 व 43 पर अंकित खनि अभियंता, नागौर के प्लॉट संख्या 140 व 141 को राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 के नियम 12 के तहत केवल एम सेण्ड यूनिट हेतु आरक्षित किया गया है। उक्त प्लॉट के संबन्ध में आउटी एमसेण्ड नीति 2020 एवं राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 के अनुसार एवं समय-समय पर संशोधन अनुसार नियमों की पालना हेतु बाध्य रहेगा। राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 के नियम 28(2)(IV)(ee) के अनुसार उपरोक्त आरक्षित किये गये खननपट्टों से निर्गमित खनिज का उपयोग केवल एमसेण्ड हेतु किया जायेगा। उपरोक्त खननपट्टों से निर्गमित खनिज को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से अन्यत्र बेचान / हस्तान्तरित / निस्तारित नहीं कर सकेगा। उक्त नियम के परन्तुक के अनुसार एमसेण्ड निर्माण के दौरान अन्य उत्पाद जिसका एमसेण्ड के रूप में निर्गमन नहीं किया जा सकता उसको पट्टाधारी रॉयल्टी मय डीएमएफटी व अन्य शुल्क का भुगतान कर ई-रवन्ना के माध्यम से निर्गमित कर सकता है।
एमसेण्ड नीति 2020 बिन्दु संख्या 5 के अनुसार नई एमसेण्ड ईकाई स्थापित करने हेतु आवेदक की पात्रता की शर्तें निम्नानुसार होगी:-
 - 1 न्यूनतम 3 करोड़ रुपये की नेटवर्थ तथा 3 करोड़ रुपये का टर्नओवर।
 - 2 पूर्व में इस क्षेत्र (क्रशिंग) का सफलतापूर्वक (न्यूनतम 3 वर्ष) चलाने का स्वयं का अथवा संयुक्त उपक्रम में भागीदार का अनुभव।उक्त बिन्दु संख्या 12(1)व (2) की शर्तों के संबंध में स्फुलतम बोलीदाता को प्रमाणित दस्तावेज, राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 के नियम 13(3) के अनुसार प्रिमीयम की प्रथम किश्त तथा नियम 14(10) के अनुसार दस्तावेज तथा विज्ञापित के बिन्दु स(10) के अनुसार दस्तावेजों के साथ निर्धारित 15 दिवस में संबंधित कार्यालय में प्रस्तुत करने होंगे।
- 13 विज्ञापित के क्रम संख्या 64 से 67 पर अंकित कार्यालय अंकित कार्यालय सहायक खनि अभियंता, सलुम्बर के प्लॉट संख्या 39/2022, 40/2022, 41/2022 व 42/2022 राज्य के अनुसूचित क्षेत्र में आते हैं। अतः उच्चतम बोलीदाता को राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 के नियम 11(1) के प्रावधानों के अनुसार Rajasthan Panchayati Raj (Modification of Provisions in Their Application to the Schedule Areas), Act, 1999 (Act No. 16 of 1999) के अनुसार पंचायती राज संस्थान के सक्षम स्तर से पूर्व अनुशंषा प्राप्त करने के उपरान्त ही खनन पट्टा स्वीकृति किया जायेगा।
- 14 ई नीलामी प्रक्रिया के बिन्दु संख्या 10 की पूर्ण पालना कर देने पर बोलीदाता को मंशा पत्र जारी किया जावेगा, जिसमें वर्णित समयावधि में माईनिंग प्लान, ई.सी. परफोरमेंस सिक्यूरिटी आदि जमा कराना होगा।


(ज्योति के. गुरुबधाणी)
अतिरिक्त निदेशक (खान-मु0)

क्रमांक: निदे/अ.ख.अ. नीलामी/नीलामी(ML I)/2023/148-212

दिनांक: 08.02.2023

प्रतिलिपि :-

- 1- शाखा प्रबंधक, MSTC LTD Jaipur को भेजकर लेख है कि उक्त विज्ञापित का प्रकाशन एम एस टी सी की वेबसाइट पर आज ही किया जाना सुनिश्चित करें।
- 2- नोडल अधिकारी, डीएमजीओएमएस, के का उदयपुर को भेजकर लेख है कि उक्त विज्ञापित का प्रकाशन विभागीय वेबसाइट पर आज ही किया जाना सुनिश्चित करें।
- 3 - नोटिस बोर्ड, निदेशालय खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान, उदयपुर।

4- निम्न को उनके कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु :-

अ- अतिरिक्त निदेशक (खान) उदयपुर/जयपुर/जोधपुर/कोटा।

ब - अधीक्षण खनि अभियंता - उदयपुर/जयपुर/जोधपुर/कोटा/बीकानेर/भरतपुर/अजमेर/भीलवाडा/राजसमंद।

स - खनि अभियन्ता, जयपुर/अजमेर/सीकर/मकराना/नरतपुर/करौली/धौलपुर/अलवर/कोटा/रामगंजमण्डी/बून्दी-1/II/जोधपुर/सिरोही/बीकानेर/नागौर/सोजत/उदयपुर/राजसमन्द-1/II/आमेट/भीलवाडा/चित्तोडगढ/प्रतापगढ/बिजोलिया/झुंझुनू/ब्यावर/जालोर/बाडमेर/श्रीगंगानगर/डुंगरपुर/बांसवाडा/जैसलमेर।

द - सहायक खनि अभियन्ता, टौक/कोटपुतली/झालावाड/बालेसर/गोटन/सलूमबर/ऋषभदेव/निम्बाहेडा/सवाईमाधोपुर/बांरा/दौसा/रूपवास/हनुमानगढ/चुरू/नीमकाथानी/सावर।

(जय.क. गुरुबक्षाणी)
अतिरिक्त निदेशक (खान-मु0)